न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुर्नविलोकन प्रकरण क्रमांक / 065-I/07

श्री के. के. द्विवेदी एड.
द्वारा आज दि० 25-6-07 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

(1) बसारत अली पुत्र बरकत अली, निवासी ग्राम तमासा तहसील मुंगावली, जिला–गुना (म.प्र.)

(2) सफहत अली पुत्र सराफत अली नाबालिग द्वारा पिता सराफत अली, निवासी ग्राम तमासा तहसील मुंगावली, जिला–गुना (म.प्र.)

(3) शियाबाई वेवा पत्नी गजराजसिंह यादव, निवासी ग्राम तमासा तहसील मुंगावली, जिला–गुना (म.प्र.) वर्तमान जिला अशोक नगर (म.प्र.) ...... आवेदकगण

विरूद्ध

(1) अनवर अली पुत्र बन्दे अली, निवासी ग्राम तमासा तहसील मुंगावली, जिला–गुना (म.प्र.)

(2) अकबर अली पुत्र बन्देअली, निवासी ग्राम तमासा तहसील मुंगावली, जिला–गुना (म.प्र.)

(3) सभोद्राबाई पत्नी पन्नालाल

(4) जमनाबाई पत्नी हमीर सिंह

(5) हल्कीबाई पत्नी प्यारेलाल

(6) बुद्धा पुत्र चतरे

(7) हल्के पुत्र चतरे

(8) श्यामाबाई पुत्री चतरे

समस्त निवासीगण ग्राम तमासा तहसील मुंगावली, जिला–गुना (म.प्र.)

(9) मध्यप्रदेश शासन, वर्तमान जिला अशोक नगर (म.प्र.) ...... अनावेदकगण

25.6.07
K. K. Dwivedi

<u>माननीय न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 1286-I/05 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगणों की ओर से निवेदन निम्नानुसार है :–

(1) यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कुछ ऐसी भूलें रह गयी हैं जिनके कारण आदेश पुर्नविलोकन योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1065–एक/07 जिला –अशोकनगर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. एवं आवेदक के हस्ताक्षर
6-05-16	आवेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1286–एक/2005 आदेश दिनांक 21.2.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 1065–एक/07 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1286–एक/2005 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 21.02.2006 से किया जा चुका है। रिव्यु प्र0क0 1286.–एक/07 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी	

रिव्यु- 1065-I/07

नहीं मिल पाई थी।

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों।

सदस्य